प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 06 मार्च 2016**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित परियोजना 'नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन आफ हाई वैल्यू वेजीटेबल' के सापेक्ष जायद मौसम में संकरलता वर्गीय सब्जियों के कार्यक्रमों को डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख को व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-371-72/बजट-आर0के0वी0वाई/2015-1616 दिनांक 03.03.2016 के संदर्भ में तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-330/12-3-2016-100(46)/2008 दिनांक 01.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित परियोजना 'नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन आफ हाई वैल्यू वेजीटेबल' के सापेक्ष जायद मौसम में संकरलता वर्गीय सब्जियों के कार्यक्रमों को डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़) मात्र के व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.03.2016 में उल्लिखित शर्त एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

परियोजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**अवमुक्त धनराशि**
'नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू वेजीटेबुल'	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनगत- 800-अन्य व्यय- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें 27-सब्सिडी	50000
	योग-	**50000**

.....2/-

http://shasanadesh.nic.in

(1) कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.03.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में पुर्नरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम **Net** पर रहेंगे।

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा निर्देश वर्ष 2015-16 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) चयन प्रक्रिया/विज्ञापन तथा चयनित लाभार्थी कृषकों का अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार कराया जायेगा।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व, जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पर शासन, कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0 एवं सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिस हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है। अन्य मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसके लिए निदेशक, उद्यान, नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(8) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(9) एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदन के विपरीत किसी अन्य कार्ययोजना/मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

(10) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी. दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त अवमुक्त धनराशि का भुगतान/व्यय तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58-2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर डी0बी0टी0 के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान/व्यय किया जायेगा।

(11) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का **Impact assessment** कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णत: का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये। लाभार्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाय

.....3/-

http://shasanadesh.nic.in

तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जो धनराशि उपयोग नहीं होगी, उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण, उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3 एवं कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी को दिनांक 31.03.2016 तक दो-दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-11/2016-682/58-2016 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(3) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.nic.in